

प्रश्न सं. [ क. 2707 ]

आसारिका उश्न सं. - 2000 खत में उक्तरि 17/3/23  
 नाम: श्री. दिनेश राय मुनगुन

परिशिष्ट 1



## म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड

ब्लाक नं. 07, प्रथम तल, शक्तिभवन रामपुर, जबलपुर 482 008

CIN: U40109MP2002SGCO15120

फैक्स (0761) 2660182 ई-मेल: eeeammlezz@yahoo.com. website: www.mpez.co.in

क्रमांक: पू.क्ष./वाणिज्य/राजस्व/ 1658

जबलपुर, दिनांक

13/01/2023

### आदेश

विद्युत बिलों के बकाया राशि के आंशिक/किश्तों में भुगतान हेतु वर्तमान में एन पी आनलाईन एवं ए.टी.पी. मशीन द्वारा मात्र घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत तक भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। मैदानी अधिकारियों द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि की वसूली में कठिनाई के मद्देनजर 50 प्रतिशत से कम राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान करने एवं घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा प्रदान करने के निवेदन को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया है कि घरेलू एवं कृषि पंप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की बकाया राशि के किश्त में भुगतान हेतु निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

बकाया राशि	न्यूनतम भुगतान
रु. 2000 तक	100%
रु. 2000 से 10000 तक	50% या न्यूनतम रु. 2000/- जो भी अधिक हो
रु. 10000 से 50000 तक	30% या न्यूनतम रु. 5000/- जो भी अधिक हो
रु. 50000 से 100000 तक	20% या न्यूनतम रु. 15000/- जो भी अधिक हो
रु. 100000 से से अधिक	10% या न्यूनतम रु. 20000/- जो भी अधिक हो

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित ।

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि :-

- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा./कय एवं स्टोर/कार्य/रूरल प्रोजेक्ट/आईपीडीएस/प्रवर्तन/आपरेशन) म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- मुख्य अभियंता (ज.क्ष./सा.क्ष./री.क्ष./शह.क्ष.), म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. जबलपुर/सागर/रीवा शहडोल।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- प्रमुख (कम्प्यूटर पद्धति एवं संचलन) म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- अर्थक्षण अभियंता, (संचा.संघा./शहर) म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. ....
- हेड आई टी, म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
- कार्यपालन अभियंता, (संचा.संघा./शहर) म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. ....

नोट :- सरल कं. 4 से निवेदन है कि उपरोक्त आदेशानुसार बिल भुगतान के लिये आवश्यक संशोधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अनुमान अधिकारी  
 ऊर्जा विभाग  
 मंत्रालय, म.प्र. शासन, बोपाल